न्यायालय श्रीमान् समक्ष सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग-म.प्र.

निगरानी प्रक.क्र. I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0625 सन्

दिविया काछी तनय भैयालाल काछी उम्र 60 वर्ष नि. राजनगर
तहसील राजनगर जिला –छतरपुर म.प्र...निगरानीकर्ता

विरूद्ध

शासन म.प्र...गैर निगरानीकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि. 23-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8.2.18 नियत।
25-1-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के तहत निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर के अपील प्रक.क्र.370/अपील/17–18 में पारित आदेश दिनांक 3–11–2017 से दुःखी होकर ।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता सादर निगरानी आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है–

1. **निगरानी का संक्षिप्त विवरण** – इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता दिविया तनय भैयालाल काछी निवासी राजनगर का खसरा नंबर 2198/3/2/1 वर्तमान (2198/53) रकवा 0.904 है0 स्थित मौजा राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर के राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है जिस पर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है।
2. यह कि तत्कालीन हल्का पटवारी राजनगर द्वारा ईर्ष्या द्वेष के कारण एक प्रतिवेदन श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजनगर जिला छतरपुर के यहां इस आशय का प्रस्तुत किया कि अनावेदक/निगरानीकर्ता द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है प्रक.क्र.15/अ–89/ अ–13/10–11 दर्ज कर मात्र हल्का पटवारी के कथन लेकर ही प्रकरण में एकपक्षीय आदेश दि.30.07.2011 को निगरानीकर्ता के भूमि खसरा नंबर 2198/53 रकवा 0.851 है0 को प्रबंधक समक्ष प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) राजनगर दर्ज कर दिया गया है। उक्त एक पक्षीय आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील निगरानीकर्ता द्वारा अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के यहां प्रस्तुत की। उक्त अपील प्रक.क्र.65/अ–89(अ–13) 16–17 में दिनांक 25.09.17 को म्याद से बाहर होने पर प्रथम दृष्टया बिना रिकार्ड बुलाये ही निरस्त कर दिया है। अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दि.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/625

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अपर कलेक्टर ने सुनवाई का अवसर देते हुए यह पाया कि बिना कॉलोनाइजर के लाईसेंस के अवैध रूप से निर्माण कराया गया। भूमि का डायवर्सन नहीं कराया गया है। नगर एवं ग्राम निवेश से नक्शा भी अनुमोदित नहीं किया गया है। विधि प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए भू-खण्डों का विक्रय अवैध रूप से किया गया है। उक्त आधारों पर अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायिक, औचित्यपूर्ण एवं विधि सम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	